११-०७-२०१४ राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ०।

आरोपी सहित श्री सुनील बेले अधिवक्ता।

प्रकरण आरोप पर तर्क हेतु नियत है। 🎤

उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील बेले द्वारा एक राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा—320(2) दं.प्र.सं. का हस्ताक्षरित कर पेश कर व्यक्त किया गया है कि उभयपक्ष आपस में सगे रिश्तेदार है तथा आरोपी के साथ बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा करना एवं उनके मध्य मधुर संबंध हो जाना व्यक्त किया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत दशमतबाई को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

फरियादी / आहत दशमतबाई स्वतः उपस्थित। उसकी पहचान श्री सुनील बेले अधिवक्ता द्वारा की गई। पहचान में संदेह नहीं है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आरक्षी केन्द्र मलाजखंड द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा—294, 323, 506 भादंवि के दण्डनीय अपराध में अभियोग पत्र पेश किया गया है। आरोपी द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा—294, 323, 506 भादंवि का अपराध न्यायालय की अनुमित से शमनीय व राजीनामा योग्य है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर उभयपक्ष को धारा—294, 323, 506 भा.दं.वि. में राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

इसी स्तर पर फरियादी/आहत दशमतबाई द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा—320 दंड प्रक्रिया संहिता का इस आशय से पेश किया गया कि उसके आरोपी से अब संबंध मधुर हो चुके है तथा आरोपी के साथ आपस में सगे रिश्तेदार है तथा उसने आरोपी से बिना डर, दबाव, लालच के स्वेच्छयापूर्वक राजीनामा कर लिया है। उभयपक्ष के संबंध भविष्य में भी मधुर बने रहे इसलिए फरियादी/आहत दशमतबाई को राजीनामा करने की अनुमित प्रदान की जाती है। प्रकरण में उभयपक्ष राजीनामा करने में कोई विधिक रूकावट नहीं है। प्रस्तुत राजीनामा आवेदन विधि विरूद्ध न होने से स्वीकार किया जाता है। फलतः आरोपी—तुलसीराम लहरे को राजीनामा के परिपेक्ष्य में धारा— 294, 323, 506 भा.दं.वि. के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लकडी है जो अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलम्ब अभिलेखागार में जमा किया जावे।

> ्रिंसराज अली) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

ATTACAN PARENTA PARENT